

विषय,

उपरोक्त विषय
विशेष संज्ञा
30प्र0 शासनादेश

संज्ञा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
30प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 21 अगस्त, 2015

विषय:-शहरी गरीबी के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय मलिन वस्तियों में "आसरा योजना"(आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

सहोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1769/76/एक/2013-14 दिनांक 30 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय मलिन वस्तियों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-उन्नाव की निकाय-मौरावा (11) की 19 आवासों की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-1384/69-1-14-20(आसरा-37)/2014 दिनांक 28 अगस्त, 2014 द्वारा ₹0 76.96 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹0 36.48 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ 7 में अंकित धनराशि ₹0 36.48 लाख (रुपये छत्तीस लाख अड़तालिस हजार मात्र) की द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 स0	जनपद/ निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या	परियोजना की कुल आवासीय लागत	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु परियोजना की कुल आवासीय लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	उन्नाव/ मौरावा (11)	24	92.16	19	72.96	36.48
योग				19	72.96	36.48

(रुपये छत्तीस लाख अड़तालिस हजार मात्र)

- उक्त धनराशि का व्यवहार आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी)दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका घण्ट-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री माया / श्री माया

3. आहरण का निर्देशक, प्राणिकार्यों से पूर्ण निर्धारण के आवश्यकतापूर्वक राज्याध्यक्ष द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन स्वयंसेवकों के सहित कार्य कराया जा सकता है। निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत आहरण-कार्यों का आयोजन एवं प्रकीर्णता बिल्कुल न हो करने के अन्तर्गत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि आहरण/परियोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाव/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपयुक्तानुसार निर्दिष्ट मद में व्यय की जायेगी। योजनात्मक परिचोजना में मान्योक्त क्षेत्रफल, मार्गावेन एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्त नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसके व्यय प्रत्येक दश में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परिचोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमत्त नहीं होगा।
6. सूड/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत भिदे जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य जगत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिधय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की दिगमृति/पुनरागृति न हो इसे सूड/डूडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. सूड/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमादित आसरा योजनात्मक आसरा के निर्माण से सम्बन्धित मालकीकरण के अनुसार ही आसरा बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिणतों का सतत स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं परित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्रस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्रस्त हो लेंगे।
9. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिरस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
10. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रती के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
11. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथाजियम वेल्ड व राज्य के करों की स्वतंत्र की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
12. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जायेगा तथा धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात उसके तापेदा भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
13. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेंगे।

14. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथासंभवस्था धनराशि आमुक्त करण से पूर्व अनुमति (एनओओयू) विपदाहित किये जाने हेतु सुझाव सम्बन्धित इकाई को निर्देशित किया जायेगा।
20. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुभाग संख्या 30 व अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-अवकाश पर पुनोजन परियोजना आयोजनाओं पर जारी आवक 0000 आय व्ययक 03 आसरा योजना (आवारीय भवन)-24 वृद्ध निर्माण कार्य" के अन्तर्गत आय कराया जायेगा।
31. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यलय माप संख्या 27/2015/वा-1/925/दस/2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

अधीन,

(एचओओ सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-739/2015/2144(1)/69-1-15 दिल्ली/का

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0,20 सरोजनी नाथरू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, कठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उन्नाव।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एचओओ सिंह)
विशेष सचिव।